न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री परशुराम धानका, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 68/2018 (225 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या :– 2018/00243

उनवान

जावेद पुत्र मौहम्मद खॉ जाति मेव निवासी रूंध खोह तहसील डीग जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. जुबेर पुत्र मौहम्मद खॉ जाति मेव निवासी ग्राम रूंध खोह तहसील डीग जिला भरतपुर।

..... असल रेस्पोंडेंट।

2. जाविद उर्फ आवेद पुत्र मौहम्मद खॉ
3. जफरू पुत्र मौहम्मद खॉ
4. छोटे खॉ पुत्र सुलतान
5. जुम्मा पुत्र सुल्तान
6. इदल्ली पुत्र सुल्तान

जाति मेव नि0 ग्राम रूंध खोह तहसील डीग जिला भरतपुर।

7. कम्मा पुत्र जमील
8. जाहुल पुत्र जमील
9. सुन्नती पत्नी जमील
10. आमीन खॉ पुत्र आसीना
11. रूजदार पुत्र आसीना
12. इकवाल पुत्र आसीना
13. जमशेद पुत्र आसीना

जाति मेव नि0 ग्राम खोह तहसील डीग जिला भरतपुर।

14. पंजाब नेशनल बैंक शाखा खोह तहसील डीग जिला भरतपुर।
15. एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा गोवर्धन जरिये शाखा प्रबन्धक।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील डीग जिला भरतपुर।

..... असल रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीग दिनांक 08.08.2018 उनवानी जुवेर बनाम जावेद मु0न. 128/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री पंकज कुमार उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 06.02.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीग के आदेश दिनांक 08.08.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/असल रैस्पो0 ने मूल वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलाण्ट व अन्य, इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम रूंध खोह तहसील डीग में प्रार्थीगण/असल रैस्पो0 व अप्रार्थी/अपीलाण्ट मुताबिक जमाबंदी वहैसियत संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार काबिज हैं। विवादित आराजी का अभी पक्षकारान के बीच विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः शामलात काश्त करने में परेशानी उत्पन्न होती है। प्रार्थी ने विवादित आराजी के विभाजन को कहा तो वह साफ इंकारी हो गये। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से अप्रार्थी/अपीलाण्ट को विवादित आराजी के किसी विशिष्ट भू–भाग का अंतरण ना करने हेतु पाबन्द कर दिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बाबजूद सूचना रैस्पो0 अनुपस्थित रहे। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश, विधि विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरीत है, जो कि काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि असल रैस्पो0 ने दावा बाबत् बॅटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया था। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड की यथास्थिति का स्थगन आदेश जारी कर दिया। जबकि बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा के दावे में रिकार्ड की यथास्थिति का स्थगन जारी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में अहम त्रुटि की है। इसके अलावा उनका यह भी कथन है कि अपीलाण्ट व रैस्पो0 विवादित आराजी के सहखातेदार काश्तकार हैं। कानूनन एक सहखातेदार, दूसरे सहखातेदार को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं करा सकता। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को खारिज करने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जमाबन्दी संवत 2069–72 के अनुसार विवादित भूमि के निष्फ हिस्से पर अपीलाण्ट खातेदार काश्तकार अंकित हैं। चूंकि विवादित आराजी का औपचारिक बंटवारा नहीं हुआ है। अतः सभी सह–खातेदारों का आराजी के प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त कानूनन मान्य है। वैसे भी एक सहखातेदार, दूसरे सहखातेदार को किसी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं कराने का प्रावधान है। अतः विवादित आराजी पर प्रथम दृष्टया अपीलाण्ट का स्वत्व जाहिर होने से सुविधा सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति भी अपीलाण्ट के पक्ष में हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से केवल अपीलाण्ट/प्रतिवादी को किसी विशिष्ट भू–भाग का अंतरण ना करने की पाबन्दी आयद की है, जो अनुचित है। लिहाजा अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य रहती है।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीग के निर्णय दिनांक 08.08.2018 अपास्त किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 06.02.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज0)

(परशुराम धानका)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर